

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

चीफासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

768

दिनांक - 10-4-19

टीकूराम पुत्र जोधाराम 2
जोधााराम 3 राजूराम पिसरान
नीखाराम 4 मूठी पत्नी भीखाराम
जाति जाट निवासी दौलाणियों का
तला, सांजटा तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम


अप्रार्थीगण

1 बनाराम पुत्र लाभूराम 2 बागाराम 3 भूराराम
पिसरान मेहराराम 4 देवाराम पुत्र उदाराम 5
चौखाराम 6 भूराराम पिसरान गुमनाराम 7 खेताराम
पुत्र कुम्भाराम 8 सोनाराम पुत्र जगमालराम जाति
जाट निवासी दौलाणियों का तला, सांजटा
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 27/2019 दिनांक- 09.04.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा दौलाणियों का तला पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 67 रकबा 23.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 10-4-19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 769-772
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. टीकूराम पुत्र जोधाराम वगैराह जाति जाट निवासी दौलाणियों का तला, सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी बनाराम पुत्र लाभूराम वगैराह जाति जाट निवासी दौलाणियों का तला, सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर